उपायुक्त का न्यायालय, रामगढ़

राज्यसात वाद संख्या–18/94/56/09
राज्य बनाम मनोज कुमार सिंह

–: आदेश :–

यह वाद अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के पत्रांक 120 दिनांक 27.04.1994 से प्राप्त प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव के आलोक में जप्त 9 क्विंटल चीनी को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6A के अन्तर्गत राज्यसात की कार्रवाई प्रारम्भ किया गया एवं धारा 6B के अन्तर्गत विपक्षी को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

विपक्षी दिनांक 10.05.1995 से न्यायालय में लगातार अनुपस्थित रहना इस बात को द्योतक है कि उन्हें मामले में कोई रूचि नहीं है।

अतः उक्त विवेचित तथ्यों के आलोक में जप्त 9 क्विंटल चीनी को राज्यसात किया जाता है।

उक्त विवेचन के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
रामगढ़।

उपायुक्त,
रामगढ़।